राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

# प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021

## मार्ग–निर्देशिका–2

अभियान ई–मेल आईडी : psksabhiyan21@gmail.com

अभियान वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in

अभियान हैल्प डेस्क नम्बर : 1800-180-6127

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नगरीय निकायों को सिवायचक/अन्य राजकीय भूमि का हस्तान्तरण | 1-3 |
| 2. | पूर्व में जारी पट्टों का पुनर्वेध कर अपंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण | 5-11 |
| 3. | किराये पर/लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री-होल्ड के पट्टे देना | 13-16 |
| 4. | (i) EWS/LIG/MIG/HIG के सम्बन्ध में ब्याज की छूट/EWS/LIG के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन बहाल करना | 17-19 |
| | (ii) अन्य श्रेणी के आवंटन व नीलामी के प्रकरणों में किस्तों में ब्याज/पेनेल्टी/शुल्क की छूट देकर आंवटन पत्र जारी करना | 21-23 |
| 5. | (i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत् कौशल प्रशिक्षण, स्व-रोजगार, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना, स्ट्रीट वेन्डर्स योजना में पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति जारी करने के सम्बध में | 25-29 |
| | (ii) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | 31-34 |
| 6. | स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय स्थल की स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत करना | 35-43 |
| 7. | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | 45-52 |
| 8. | अन्य सामान्य परिपत्र - संविदा कर्मचारी, अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि, आवंटन नीति 2015 बाबत् | 53-74 |
| 9. | अन्य विभागों से संबंधित कार्य<br>(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग<br>(ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग<br>(iii) ऊर्जा विभाग<br>(iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग<br>(v) राजस्व विभाग<br>(vi) महिला एवं बाल विकास विभाग<br>(vii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 75-77 |
| 10. | प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र | 79-81 |

# सिवायचक/अन्य राजकीय भूमि का हस्तान्तरण

**Government Of Rajasthan**

**Revenue (Gr-6) Department**

No.F. 6(9)Rev-6/96pt./39 Jaipur, dated 8.12.10

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by section 92 read with section 102 A and 260 of the Rajasthan Land Revenue Act,1956(Act No.15 of 1956) and in supersession of this Department's Notification No. F.6(9) Rev/Gr-VI/96 Pt. 10 date June 02,2009(as amended from time to time), the State Government here by orders that:-

1. All government land falling within the urbanisable limits of Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts, and Municipalities, shall be transferred to Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipalities, as the case may be.
2. The government land shall be transferred on payment of capitalized value of the land amounting to forty times of the land revenue to the State Government by the Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipalities as the case may be.
3. Immediately after the capitalized value of the land is paid by the Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts, or Municipalities, as the case may be, the land shall be transferred to be concerned body and the land shall be recorded in their names in the revenue records.
4. In addition to the capitalized value of the land Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trusts or Municipal Corporation or Municipal Council, as the case may be, shall, on disposal of the land through sale, allotment or regularization have to deposit in the State Government account a portion of the amount received from the sale, allotment or regularization of the land which shall be as follow:

| | |
|---|---|
| (i) Jaipur Development Authority/Jodhpur Development Authority | 20% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land. |
| (ii) Urban Improvement Trusts | 5% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land. |
| (iii) Municipal Corporations | 2.5% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land. |
| (iv) Municipal Councils | 2% of the amount realized through sale, allotment or regularization of the land. |

Provided that if any Urban Improvement Trusts, Municipal Corporation or Municipal Council, or the disposal of the land through sale, allotment or regularization has deposited in the state Government account a portion of the amount received from such disposal, is higher then the above, remaining amount of such deposit shall not be refunded.

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. from April 01,2005.

By order of the Governor

**(Naresh Kumar Sharma)**

**Deputy Secretary to Government**

# पूर्व में जारी पट्टों का पुनर्वेध

**पूर्व में जारी पट्टे/अभियान मे जारी होने वाले पट्टों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क :–**

जिन प्रकरणों में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी/90–ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों के जारी पट्टे एवं निकाय की अन्य योजनाओं के अंतर्गत दिये गये पट्टे/लीज डीड मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके है किन्तु किसी कारणवश इन पट्टा विलेखों का संबंधित उप पंजीयक से पंजीयन नहीं करवाया गया है ऐसे पट्टों के नवीनीकरण (पुनर्वेध) की कार्यवाही कर अभियान के दौरान पंजीयन करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा–विलेख को दिनांक 31.03.2022 तक पुनः निष्पादित कर पुनर्वेध (रिवेलिडेटेड) किया जाकर पंजीयन करवाया जा सकेगा। मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत पर पंजीयन किया जा सकेगा। (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021)

**Government of Rajasthan**
**Finance Department**
**(Tax Division)**
**Notification**

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No : 14 to 1999) and in susperssion of this department's notification numbers F.2(55)FD/Tax/2012-33 dated 12.07.2012, F.4 (3)FD/Tax/2018-188 dated 12.02.2018, F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, F.2(37)FD/Tax/2010+-125 dated 08.03.2011, F.4(4)FD/Tax/2020-126 dated 20.02.2020 and F.4(4)FD/Tax/2020-127 dated 20.02.2020, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments specified in column number 2 of the table given below shall be reduced and charged at the rate as specified against each of them in column number 3 of the said table:-

| **S.No.** | **Description of instrument** | **Stamp Duty** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | The lease deed of residential site allotted under the Indira Awaas Yojana and Mukhymantri Gramin B.P.L. Awaas Yojana | Nil |
| 2. | The lease deed or allotment order issued by the Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj. Rules, 1996 | Rs. 100 |
| 3. | The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 to 1961) | Rs. 100 |
| 4. | The lease deed or allotment order issued under the Rajasthan Slum Development Policy-2012 | Rs. 100 |
| 5. | The lease deed/sale deed issued/executed under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana for-<br>(i) dwelling units for Economically Weaker Section | 0.5% of consideration amount |
| | (ii) dwelling unit for Low Income Group | 1% of consideration amount |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | The lease deed issued/executed under the Rajasthan Township Policy-2010.<br>(i) in case of first allotment of plot for residential, institutional, industrial, tourism unit, etc. | at the rate of conveyance on 4 times of the residential conversion charges. |
| | (ii) in case of first allotment of plot for commercial purpose | at the rate of conveyance on 8 times of the residential conversion charges. |
| 7. | The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. | at the rate of conveyance on the amount of premium, development charges, conversion, charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any and the average amount of the rent of two years. |
| 8. | The lease deed (not covered under any category specified at serial number 1 to 7 above) issued/executed by the State Government, local authorities, public enterprises or any other Government bodies in respect of land allotted or sold by them. | at the rate of conveyance on the amount or premium and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years. |
| 9. | Any lease deed covered by serial number 2 to 8, submitted for registration after revalidation. | 120% of the stamp duty payable on the original lease deed. |

Note :- 1. In case of lease deed/sale deed issued/executed under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or the Rajasthan Government Grants Act, 1961 or the Rajasthan Slum Development Policy-2012 or the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 or Pradhan Mantri Awas Yojana or the Rajasthan Township Policy 2010, the allottee shall to the satisfaction of the Registration Officer that the lease deed/sale deed has been issued/executed under such Act, Rules, Yojana or Policy, as the case may be.

2. This notification shall be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before Collector (Stamps) or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No. F.4(2)FD/Tax/2021-272]
Be order of the Governor

(Tina Dabi)
Joint Secretary of the Government

**राजस्थान सरकार**

**वित्त विभाग**

**(कर अनुभाग)**

**अधिसूचना**

जयपुर, फरवरी, 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(55)वित्त/कर/2012-33 दिनांक 12.07.2012, प.4(3)वित्त/कर/2018-188 दिनांक 12.02.2018, प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.03.2017, प.2 (37)वित्त/कर2010-125 दिनांक 08.03.2011, प.4(4)वित्त/कर2020-126 दिनांक 20.02.2020 और प.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.02.2020 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उनके प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में यथानिविर्दिष्ट दर से प्रभारित किया जायेगा:-

| **क्र.सं.** | **लिखत का विवरण** | **स्टाम्प शुल्क** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के अधीन आवंटित आवासीय स्थल का पट्टा विलेख | कोई नहीं |
| 2. | राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश | 100 रुपये |
| 3. | राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश | 100 रुपये |
| 4. | राजस्थान स्लम डवलमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी पट्टा विलेख या आवंटन आदेश | 100 रुपये |
| 5. | मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख/विक्रय विलेख:-<br>(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय इकाइयां | प्रतिफल की रकम का 0.5 प्रतिशत |
| | (ii) निम्न आय समूह के लिए आवासीय इकाइयां | प्रतिफल की रकम का 1 प्रतिशत |
| 6. | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन निम्नलिखित के लिए जारी/निष्पादित पट्टा विलेख-<br>(i) आवासीय, संस्थानिक, औद्योगिक, पर्यटन इकाई इत्यादि के लिए भू-खण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में। | आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 4 गुना पर हस्तान्तरण की दर से। |

| | | |
|---|---|---|
| | (ii) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूखण्ड के प्रथम आवंटन के मामले में | आवासीय संपरिवर्तन प्रभार के 8 गुना पर हस्तान्तरण की दर से। |
| 7. | राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के निपटान के लिए रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख। | प्रीमियम की रकम, विकास, प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के किराये की औसत रकम या हस्तान्तरण की दर से। |
| 8. | राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में जारी/निष्पादित पट्टा विलेख (जो उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 से 7 में विनिर्दिष्ट किसी प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है)। | प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर हस्तान्तरण की दर से। |
| 9. | क्रम संख्यांक 2 से 8 के अन्तर्गत आने वाला कोई पट्टा विलेख जो पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो। | मूल पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का 120 प्रतिशत |

टिप्पणी: 1. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 यथा 158 या राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 या राजस्थान स्लम डवलपमेंट पॉलिसी-2012 या मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 या प्रधानमंत्री आवास योजना या राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अधीन जारी/निष्पादन पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के मामले में आवंटी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करेगा कि पट्टा विलेख/विक्रय विलेख ऐसे अधिनियम, नियम योजना या यथास्थिति, पॉलिसी के अधीन जारी/निष्पादित किया गया है।

2. यह अधिसूचना, निष्पादित लिखतों या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य किसी न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर लागू होगी किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(प.4(2) वित्त/कर/2021-272)
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

# किराये/लघु अवधि लीज सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज/फ्री– होल्ड पट्टे

## निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज/किराये पर दी गई व्यावसायिक सम्पतियों को फ्री-होल्ड पट्टे जारी करना-

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2018 दिनांक 05.10.2018 के निर्णय में किराया/लाईसेन्स/यूज एण्ड ऑक्यूपेशन/किराये पर विभिन्न सम्पतियों को 99 वर्ष लीज पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया था, तथा इस संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.12.2018 रखी गयी थी। उक्त अवधि में नियमन नहीं कराने वाले लीज धारक/किरायेदारों से सम्पत्ति खाली कराने की कार्यवाही नगरीय निकायो द्वारा की जानी थी मगर अनेकों प्रकरण अभी भी लम्बित हैं, जिसके लिये निर्णय की समीक्षा कर विभिन्न दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है-

1. छोटी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत् (750 वर्गमीटर तक)-

(i). 25 जनवरी 1950 तक किराये/लघु अवधि पर दिये गये मामलों में-एकमुश्त राशि वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 15 प्रतिशत।

(ii). 26 जनवरी, 1950 से 31.12.1983 तक के मामलों में- वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 20 प्रतिशत।

(iii). दि: 01.01.1984 से 31.12.1990 तक के मामलों में-वर्तमान व्यवसायिक आरक्षित दर की 30 प्रतिशत।

2. बड़ी व्यवसायिक सम्पतियों बाबत (750 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के)

(i). पेट्रोल पम्प, सिनेमा, होटल, गौदाम, औद्योगिक एवं संस्थागत प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई भूमि।

(ii). अन्य प्रकार के व्यवसायिक प्रकरण-

(iii). उपरोक्त प्रकार की निर्मित सम्पतियों का निर्णय केस टू केस आधार पर राज्य सरकार के स्तर से किया जावेगा तथा इनके संबंध में सम्पत्ति की मौके पर उपयोग की विद्यमान मौका स्थिति (खाली/आंशिक/चालू हालत में/बन्द हालत में आदि) अनुसार निर्णय किये जाएंगें।

(iv). मूल्यांकन हेतु ध्यान रखे जाने योग्य बिन्दु :-

a) वर्तमान आरक्षित दर के बराबर राशि (यदि आरक्षित दर उपलब्ध नहीं हो तो डीएलसी दर),

b) सम्पति के आंशिक हिस्से का नगरीय निकाय द्वारा पुनः कब्जा लेने की संभावना।

c) सम्पत्ति को शहर के विकास के लिए किसी आवश्यक उपयोग में लेने की संभावना जैसे सड़क की चौड़ाई बढाना, या स्लिप लेन, पार्किंग, फुटपाथ, सामुदायिक उपयोग आदि।

d) यदि भूमि सम्पूर्ण रूप या अधिकांश रूप से रिक्त है तो निर्मित भाग को छोड़कर खाली भूमि का नगरीय निकाय द्वारा कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिए। केवल निर्मित भाग के संबंध में ही देय राशि का आंकलन कर राशि प्राप्त की जावे।

e) यदि सम्पत्ति की राशि 5 करोड़ रूपये या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अनुमोदन के पश्चात् 25 प्रतिशत की राशि 90 दिन में जमा करवायी जावेगी। शेष 75 प्रतिशत राशि को चार वर्ष में छमाही 8 किश्तों के पोस्ट डेटेड चैक के जरिये जमा करवाई जाएगी। चैक अनादर होने पर विलम्ब अवधि का 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रथम किश्त जमा होने के उपरान्त किरायेदार को सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रोविजनल आदेश जारी किया जावे।

### सामान्य बिन्दु :-

(i). 14.1 की सम्पत्तियों का निस्तारण स्थानीय स्तर की एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी तथा 14.2 की सम्पत्तियों का निस्तारण राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किया जावेगा, जिसका गठन अलग से विभाग द्वारा किया जावेगा।

(ii). उपरोक्त एकमुश्त राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि की दर से वार्षिक लीज निर्धारित करते हुये 10 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि जमा करवायी जाकर सम्पति का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जावेगा।

(iii). यदि मूल किरायेदार द्वारा सम्पत्ति सबलेट कर दी गई है तो एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा।

(iv). भूतल पर निर्मित दुकानों की छत के उपयोग बाबत यदि नगरीय निकाय की कोई योजना नही हैं, तो छत का अधिकार (Roof Right) देने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी। ऐसी स्थिति में छत का अधिकार देने पर एकमुश्त ली जाने वाली उपरोक्त आवंटन राशि का 50 प्रतिशत प्रीमियम अतिरिक्त रूप से वसूल किया जावेगा। छत पर निर्माण प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञेय होगा, लेकिन केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/संरक्षित पुरातत्व महत्व के स्थलों/क्षेत्रों तथा तद्नुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों, शहर की परम्परागत चारदीवारी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों/भवनों पर छत का अधिकार नही दिया जावेगा।

(v). सभी प्रकार का बकाया किराया व अन्य देनदारियां एकमुश्त जमा करवाने के पश्चात् ही नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी। बकाया राशि पर साधारण ब्याज 9 प्रतिशत देय होगा, एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने पर देय ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।

(vi). यदि कोई सम्पत्ति किसी न्यायिक विवाद के कारण सम्पति धारक के उपयोग में नही आयी है, तो उस अवधि का ब्याज या शास्ति नही ली जावेगी।

(vii). सम्पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकरणों में न्यायिक वाद प्रत्याहारित होने के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निस्तारण किया जायेगा।

(viii). जितनी भूमि/स्थल किरायेदार/लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी, वर्तमान में केवल उतने ही क्षेत्रफल का नियमन किया जा सकेगा। अतिरिक्त भूमि को नगरीय निकाय अपने कब्जे में लेगा। यदि भूमि सम्बन्धित जिस उपयोग के लिए आवंटित की गई थी और उससे भिन्न उपयोग हो रहा है तो मास्टर प्लान के अनुरूप होने पर नियमन किया जा सकेगा और यदि मास्टर प्लान के अनुरूप उपयोग नही हो रहा है तो ऐसे मामलो मे व्यापक जनहित मानते हुऐ वर्तमान उपयोग के लिए प्रक्रिया अपनाकर नियमन किया जा सकेगा।

(ix). निर्धारित सड़क मार्गाधिकार में आने वाले क्षेत्र का नियमन नही किया जावेगा।

(x). जिन मामलों में लीजधारक/किरायेदार की मृत्यु हो गई हो तो उसके वैध उत्तराधिकारियों से उपरोक्त एकमुश्त नियमन राशि के अतिरिक्त वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 05 प्रतिशत राशि नाम हस्तान्तरण के रूप में वसूल की जाकर नियमन उत्तराधिकारी के नाम कर दिया जावेगा।

(xi). उक्त आदेश आगामी दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावशील रहेंगे। उक्त अवधि में आवंटन नही कराने वाले लीज धारक/किरायेदारो से सम्पति खाली करवाकर उसको नीलाम करने की कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा की जावेगी।

(xii). राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो की पालना सम्पतिधारक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

# EWS/LIG/MIG/HIG
# के सम्बन्ध में ब्याज की छूट

## ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0, एमआईजी–ए, एमआईजी–बी व एच.आई.जी. के संबंध में छूट–

**(I)** आवासों/भूखण्डों की बकाया राशि/किश्तों पर ब्याज व पैनल्टी में छूट–

नगरीय निकायों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से भूखण्ड/आवास आवंटित किये गये थे किन्तु कतिपय मामलों में आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किश्ते जमा नहीं करायी गयी थी। तथा उन पर ब्याज पैनल्टी का काफी भार बढ़ चुका है, जिसके कारण वे लोग किश्ते जमा नही करवा पा रहे है। अतः विभागीय आदेश दिनांक 12.05.2021 से ई0 डब्ल्यू0 एस0/एल0 आई0जी0/एम0आई0जी0–ए के आवंटित आवासों की बकाया राशि व किश्तें 31.07.2021 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट दी गई थी।इस छूट को अभियान अवधि तक बढ़ाया गया है।

इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड द्वारा एम0आई0जी0– बी. व एच.आई.जी. के लिए 50 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट को भी अभियान अवधि में बढ़ाते हुए शत प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। (आदेश दिनांक 20.09.2021)

**(ii)** EWS/LIG के आवासों का आवंटन/कब्जा देना एवं मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना–

निकायों द्वारा राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आदि में EWS/LIGके आवास बनाये गये है, लेकिन उनमें कई जगह आवंटन नही होने, आवंटियो को कब्जा नही देने, इन मकानों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध नही होने आदि के कारण बने हुये मकान जर्जर अवस्था में हो रहे है। अतः ऐसे आवासों को अभियान अवधि में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा मूलभूत सुविधाऐं सुनिश्चित कर आवंटन व कब्जा दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि निर्मित मकान अभी तक भी आवंटित नही किये गये है, तो उनका आवंटन राज्य की Rental Housing Policyके तहत् किया जावेगा, जिसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। ई.डब्ल्यूएस. श्रेणी हेतु 300/– रूपये प्रतिमाह व एल.आई.जी श्रेणी हेतु 500/– रूपये प्रतिमाह 10 वर्ष हेतु मासिक किराये पर आवास दिये जायेगें। 10 वर्ष पश्चात् जिनको आवास किराये पर दिये गये हैं, तथा वह सतत् रूप से आवास कर रहे है, तो उन्ही को उन आवासों कास्थायी रूप से आवंटन कर पट्टा जारी किया जायेगा।

**(iii)** ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों का आवंटन बहाल करने बाबत्–

नगरीय निकाय के द्वारा आवंटित या नीलामी में बेचे गये भूखण्डों/आवासों की बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराने से आवंटन/नीलामी निरस्त मानी जाती है। जिनकी अवधि व्यतीत होने पर उनका आवंटन/नीलामी बहाल करने की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते है। ऐसे मामलों में गरीब वर्ग के व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों को बहाल करने की राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर अभियान अवधि में रहेगी।

# अन्य श्रेणी के आवंटन व निलामी के प्रकरणों में ब्याज व अन्य छूट

**निकायों की योजनाओं के भूखण्डों के विलम्ब से राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट देकर पट्टे देना (द्वारा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2021 का बिन्दु संख्या 7) –**

7 निकायों द्वारा नीलामी व निश्चित दर से आंवटित भूखण्डों के निर्धारित भुगतान अवधि के पश्चात् पूर्ण/आंशिक राशि जमा करायी गई है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें पूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है मगर ब्याज व शास्ति के कारण आवंटन पत्र/कब्जा नही दिया जा रहा है, के संबंध में अभियान अवधि में ब्याज व शास्ति राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये आवंटन पत्र/लीज–डीड/कब्जा दिया जायेगा।

# राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

# स्वायत्त शासन विभाग

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: F.15 (ग) PD/DLB/PSSA-2021-22/34690-886 दिनांक: 24.08.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय: **'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021'** के अन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा आगामी 02 अक्टूबर 2021 से 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' आरम्भ किया जा रहा है। उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निकायों में पदस्थापित जिला परियोजना अधिकारी/ जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठकों द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की जाएगी-

| घटक | गतिविधियां |
|---|---|
| स्वरोजगार हेतु ऋण | पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाकर, जांच कर टास्क फोर्स में अनुमोदन करवाकर सम्बन्धित बैंको को प्रेषित करना। |
| कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन | पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना। |
| पथ विक्रेताओं को सहायता | • नए पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना<br>• चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना |
| सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास | • नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना।<br>• क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन।<br>• SHG/ALF को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना। |
| पीएम स्वनिधि योजना | • पीएम स्वनिधि योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाना तथा LoR जारी करना।<br>• स्वीकृत आवेदन पत्रों के ऋण वितरण हेतु आवेदको को बैंको में भिजवाकर ऋण वितरित करवाना। |
| इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | • योजना के पात्र व्यक्तियों का चयन करना।<br>• ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना।<br>• स्क्रीनिग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर क्रेडिट कार्ड जारी<br>• कलक्टर को प्रेषित कर आवेदकों को ऋण वितरण करवाना |

अत: उपरोक्तानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के सफल संचालन हेतु आवश्यक तैयारी पूर्ण करना सुनिश्चित करावें तथा अभियान के दौरान प्रतिदिन की प्रगति से निदेशालय को भी अवगत करावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

## 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की कार्य योजना

| क्र.सं. | घटक का नाम | घटक के तहत कार्य विवरण | लक्ष्य (2021–22) | गतिविधियां | कार्यदायी व्यक्ति का पद नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वरोजगार हेतु ऋण | व्यक्तिगत एवं समूह ऋण | 4000 | पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाना | जिला मिशन प्रबन्धक / सामुदायिक संगठक/ नगर निकाय कार्मिक |
| 2. | कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन | युवाओं को कौशल प्रशिक्षण | 12573 | पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक |
| 3. | सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास | स्वयं सहायता समूहों का गठन | 5701 | • नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना।<br>• क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन।<br>• SHG/ALF को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना (डेमो चेक)। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/रिसोर्स आर्गेनाइजेशन (NGOS) |
| | | रिवोल्विंग फंड | 4561 | | |
| 4. | पथ विक्रेताओं को सहायता | चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण | समस्त चिन्हित पथ विक्रेता | • नए पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना<br>• चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक |
| 5. | पीएम स्वनिधि योजना | ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना | समस्त चिन्हित पथ विक्रेता | • पीएम स्वनिधि योजना के आनलाइल फार्म भरवाना तथा वितरण करवाना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक/बैंक प्रबन्धक |
| 6. | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | कार्ड हेतु ऑनलाईन आवेदन करना | समस्त पात्र व्यक्ति | • योजना के पात्र व्यक्तियों का चयन करना।<br>• ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना।<br>• स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनुमोदन कर जिला कलेक्ट्रेट को प्रेषित कर आवेदकों को ऋण हेतु क्रेडिट कार्ड जारी करवाना | |

## 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्य–राज्य स्तरीय 21–22

| क्र.सं. | घटक का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| 1. | स्वरोजगार हेतु ऋण | व्यक्तिगत ऋण | 4000 |
| 2. | कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं नियोजन | युवाओं को कौशल प्रशिक्षण | 12573 |
| | | रोजगार/स्वरोजगार | 880 |
| 3. | सोशियल मोबिलाइजेशन एवं संस्थागत विकास | स्वयं सहायता समूहों का गठन | 456 |
| | | रिवोल्विंग फंड | |
| 4. | पथ विक्रेताओं को सहायता | चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण | समस्त पथ विक्रेता |
| 5. | पीएम स्वनिधि योजना | ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना | पीएम स्वनिधि योजना |

## प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना

विश्वव्यापी महामारी **COVID-19** के कारण देश में पूर्ण लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण पथ विक्रेताओं **(Street Vendors)** का व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हुआ। **COVID-19** महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं के प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसाय को पुन: प्रारम्भ करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाने के लिये देश के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' योजना सभी नगरीय निकायों में प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। यह योजना दिनांक 1 जूलाई 2020 से प्रारम्भ हो चुकी है।

इस योजना के माध्यम से देश के 50 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लक्षित किया गया है जो कि 24 मार्च 2020 से पूर्व से नगरीय क्षेत्र, व आस-पास उपनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि मार्च 2022 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह योजना पूर्णत: केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

i. पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए मासिक किस्ते चुकाने वाले रूपये 10000/- तक के सम्पाश्रविक-मुक्त **(Collateral-free)** कार्यशील पूंजी ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

ii. ऋण के समय पर/शीघ्र चुकाने ब्याज पर 7 प्रतिशत वार्षिक सब्सिडी सीधे ही **Direct Bank Transfer (DBT)** के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में आनलाइन पोर्टल के माध्यम तिमाही आधार पर जमा किया जावेगा।

iii. पथ विक्रेताओं द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने पर ऋण की सीमा बढ़ाये जाने के पात्र होंगे।

iv. इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरआरबीएस, एसएफबीएस, सहकारी बैंक एनबीएफसी एवं एसएचजी शामिल हैं।

v. इस योजना में पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटल लेन-देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में 50 से 100 रूपये मासिक कैशबैक भी पथ विक्रेताओं के बैंक खाते में माह की समाप्ति पर हस्तांतरित किया जाएगा।

दिनांक 10.09.2021 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

| | | |
|---|---|---|
| कुल आवेदन | - | 1,53,214 |
| स्वीकृत | - | 70,098 |
| वितरण | - | 62,486 |

नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।

# इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

## इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021

### 5 लाख जरुरतमंदों को रुपये 50 हजार तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा

**योजना के मुख्य बिन्दु –**

- 50000 रू. तक का ब्याज मुक्त ऋण शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा 5 लाख लाभार्थियों को आर्थिक मदद।
- शहरी पथ विक्रेता अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा।
- निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया शुल्क मुक्त ऋण की उपलब्धतता।
- ऋण राशि का पुर्नभुगतान चौथे माह से 12 मासिक किश्तो में।
- स्वयं या ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन वेब पोर्टल के माध्यम से सुगम आवेदन प्रक्रिया।
- स्थानीय जिला कलक्टर तथा निकाय अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग।

**योजना की मुख्य विशेषताएं –**

- शहरी क्षेत्रो में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर तथा रोजमर्रा की जरूरतो हेतु ब्याजमुक्त ऋण।
- योजना 31 मार्च 2022 तक राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रो में लागू।
- योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से।
- जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित समीक्षा।
- प्राप्त आवेदनो का समयगत (25 दिन) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत कर ऋण वितरण।
- स्थानीय निकाय एवं उप-खण्ड अधिकारी द्वारा आवेदको का सत्यापन।
- प्रथम 5 लाख आवेदको को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा।
- कोविड-19 प्रभावित जरूरतमंद लोगो को वित्तीय संसाधन की उपलब्धतता।
- लाभार्थी को ऋण पुनर्भुगतान नकद/ऑनलाईन/यू.पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा।
- बैंको हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित।
- आवेदको के मार्गदर्शन/शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क।

नोट- योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्रपत्र अभियान की वेबसाईट : shahar2021.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

## 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान – 2021 हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड स्कीम की कार्य–योजना

| क्र. सं. | घटक का नाम | घटक के तहत कार्य विवरण | राज्य स्तरीय लक्ष्य (2021–22) | गतिविधियां | कार्यदायी व्यक्ति का पद नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वरोजगार हेतु ऋण | व्यक्तिगत एवं समूह ऋण | 4000 | पात्र व्यक्तियों के आवेदन फार्म भरवाना एवं ऋण वितरण करवाना | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक |
| 2. | कौशल प्रशिक्षण हेतु आवेदन | युवाओं को कौशल प्रशिक्षण | 12573 | पात्र युवाओं के आवेदन पत्र भरवाना तथा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर पंजीयन हेतु प्रेषित करना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक |
| 3. | सामाजिक संगठन एवं संस्थागत विकास | स्वयं सहायता समूहों का गठन | 5701 | ✓ नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना।<br>✓ क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन।<br>✓ SHG/ALF को रिवाल्विंग फंड का वितरित करना (डेमो चेक)। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/रिसोर्स आर्गेनाइजेशन (NGOs) |
| | | रिवोल्विंग फंड वितरण | 4561 | | |
| 4. | पथ विक्रेताओं को सहायता | चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र का वितरण | समस्त चिन्हित पथ विक्रेता | ✓ नए पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकार करना,<br>✓ चिन्हित पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी करना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक |
| 5. | पीएम स्वनिधि योजना | ऋण हेतु आनलाइन आवेदन करवाना | समस्त चिन्हित पथ विक्रेता | ✓ पीएम स्वनिधि योजना के आनलाइन फार्म भरवाना तथा वितरण करवाना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक/ बैंक प्रबन्धक |
| 6. | इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | क्रेडिट कार्ड हेतु आनलाइन आवेदन करवाना | 5,00,000 (पांच लाख व्यक्तियों को) | ✓ पात्र पथ विक्रेता, शहरी बेरोजगार, असंगठित क्षेत्र के कामगार, शहरी गरीबो के आनलाइन आवेदन करवाना तथा वितरण करवाना। | जिला मिशन प्रबन्धक/सामुदायिक संगठक/नगर निकाय कार्मिक/ बैंक प्रबन्धक |

# स्वच्छ भारत मिशन

**राजस्थान सरकार**
**स्वायत्त शासन विभाग**

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2021/PSKSA/112106-318 दिनांक 01.07.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : ''प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021'' के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य करवाने बाबत।

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं मूलभूत कार्यो के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से ''प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021'' आगामी 02 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलु इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थलों का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक शौचालय विहीन घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) एवं बाजारों में यूरिनल्स के सर्वे/निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. व्यक्तिगत घरेलु शौचालय (IHHL) :
   - ❑ शहरी क्षेत्र में जिन नये घरों में शौचालय नहीं हैं, उनमें शौचालयों की आवश्यकता का आंकलन करना।
   - ❑ घरेलु शौचालयों के निर्माण हेतु उक्त विवरण के आधार पर भवन मालिक/लाभार्थी से निर्धारित फॉर्म में जानकारी भरवाकर प्रत्येक निकाय द्वारा आवश्यक घरेलु शौचालयों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करना।
2. सामुदायिक शौचालय/(CT) :
   - ❑ शौचालय विहीन घर, जिनमें शौचालय बनाने की जगह उपलब्ध नहीं है, उनको सामुदायिक शौचालय से जोड़ने हेतु प्रस्तावित सामुदायिक शौचालय में सीट्स का निर्धारण करना।
   - ❑ घनी आबादी वाली कच्ची बस्तियों में सामुदायिक शौचालय (CT) की आवश्यकता का आंकलन करते हुये, शौचालयों (CT/PT) की संख्या का निर्धारण करना।
   - ❑ सामुदायिक शौचालय (CT) के निर्माण हेतु उचित स्थान पर भूमि/स्थल का चिन्हिकरण करना।
   - ❑ सामुदायिक शौचालय (CT) के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना।
3. बाजारों में सार्वजनिक शौचालय (CT) :
   - ❑ व्यापारिक केन्द्रों/बाजारों, पर्यटनों स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय (PT)/मूत्रालय की आवश्यकता का आंकलन करना।

- बाजारों व सार्वजनिक स्थलों में सार्वजनिक शौचालय (PT)/मूत्रालय के निर्माण हेतु सर्वे व स्थान का चिन्ह्किरण करना।
- सार्वजनिक शौचालय (PT)/मूत्रालय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करना।

अत: उपरोक्तानुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों (IHHL), सामुदायिक शौचालय (CT) एवं व्यापारिक केन्द्रों/बाजारों, पर्यटन स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों (PT)/मूत्रालयों के निर्माण हेतु आवश्यकता का आंकलन करने, सर्वे करने, आवश्यक भूमि/स्थल का चयन करने एवं निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही ''प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021'' से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल cedlbjp@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रपत्र।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

---

प्रपत्र–E

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सीवर कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट

**प्राधिकरण/न्यास/निकाय का नाम :–..........................................................**

| क्र.सं. | सीवर कनेक्शन हेतु आवेदनों का विवरण | | | स्वीकृत सीवर कनेक्शनों का विवरण | | | शेष आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गत दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या | आज दिनांक को प्राप्त आवेदनों की संख्या | कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या | गत दिनांक तक स्वीकृत किये गये सीवर कनेक्शनों की संख्या | आज दिनांक को स्वीकृत किये गये सीवर कनेक्शनों की संख्या | कुल स्वीकृत सीवर कनेक्शनों की संख्या | |
| **1** | **2** | **3** | **4 = 2+3** | **5** | **6** | **7 = 5+ 6** | **8 = 4-7** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

प्रपत्र–F

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू शौचालय (IHHL) हेतु आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :–...............................................................

| क्र.सं. | घरेलू शौचालय (IHHL) हेतु आवेदनों का विवरण | | |
|---|---|---|---|
| | गत दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संख्या | आज दिनांक को प्राप्त आवेदनों की संख्या | कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 |
| | | | |
| | | | |

पाक्षिक प्रपत्र–G

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सामुदायिक शौचालय (CT) के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :–...............................................................

| क्र. सं. | सामुदायिक शौचालयों हेतु स्थल चयन का विवरण | | | सामुदायिक शौचालय में सीट्स की संख्या का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या | इस पखवाड़े में चयनित स्थलों की संख्या | कुल चयनित स्थलों की संख्या | गत पखवाड़े तक निर्मित सीट्स की संख्या | इस पखवाड़े में निर्मित सीट्स की संख्या | कुल निर्मित सीट्स की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | 5 | 6 | 7 = 5+ 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

पाक्षिक प्रपत्र—H

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक शौचालय (PT) के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :—..........................................................

| क्र.सं. | सार्वजनिक शौचालयों हेतु स्थल चयन का विवरण | | | सार्वजनिक शौचालय में सीट्स की संख्या का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या | इस पखवाड़े में चयनित स्थलों की संख्या | कुल चयनित स्थलों की संख्या | गत पखवाड़े तक निर्मित सीट्स की संख्या | इस पखवाड़े में निर्मित सीट्स की संख्या | कुल निर्मित सीट्स की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | 5 | 6 | 7 = 5+ 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

पाक्षिक प्रपत्र—I

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक मूत्रालय (URINAL) के स्थल चयन एवं निर्माण की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

निकाय का नाम :—..........................................................

| क्र. सं. | सार्वजनिक मूत्रालय हेतु स्थल चयन का विवरण | | | सार्वजनिक मूत्रालय में सीट्स की संख्या का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गत पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या | इस पखवाड़े तक चयनित स्थलों की संख्या | कुल चयनित स्थलों की संख्या | गत पखवाड़े तक निर्मित मूत्रालय की संख्या | इस पखवाड़े में निर्मित मूत्रालय की संख्या | कुल निर्मित मूत्रालय की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | 5 | 6 | 7 = 5+ 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**राजस्थान सरकार**

**स्वायत्त शासन विभाग**

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2021/PSKSA|/112616-828 दिनांक 01.07.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : ''प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021'' के दौरान सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य करवाने बाबत।

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की आम जनता को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने एवं मूलभूत कार्यो के त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से ''प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021'' आगामी 02 अक्टूबर, 2021 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पेच रिपेयर, नाली मरम्मत, फेरो कवर व मैनहॉल्स की मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा।

इस सम्बन्ध में लेख है कि अभियान से पूर्व 15 अगस्त, 2021 तक नगर निकाय की क्षेत्राधिकार की क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों व मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) का सर्वे/आंकलन करते हुये, सी.सी./डामर सड़क मरम्मत/पेच रिपेयर के कार्य, नाली मरम्मत के कार्य, मशीनहॉल्स (मैनहॉल्स) मरम्मत/बदलने के कार्य की मात्रा का अनुमान (Estimate) करते हुये, वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर कार्य करवाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये, वार्षिक दर अनुबन्ध (Annual Rate Contract) की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे, ताकि अभियान के दौरान मांग आने पर आवश्यकता अनुसार सड़क/नाली व मैनहॉल्स मरम्मत के आवश्यक कार्य करवाये जा सकें।

उपरोक्तानुसार सूचना अभियान के दौरान संकलित कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में विभाग के ई-मेल cedlbjp@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रपत्र।

**(दीपक नन्दी)**
**निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव**

**प्रपत्र–A**

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सड़क मरम्मत/सुधार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

**प्राधिकरण/न्यास/निकाय का नाम :–.................................................................**

| क्र. सं. | आज दिनांक तक प्राप्त कुल प्रकरण | आज दिनांक तक कुल निस्तारित प्रकरण | शेष प्रकरण | सी.सी.सड़क | | | | बी.टी सड़क | | | | ग्रेवल सड़क | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गत दिनांक तक किया गया कार्य का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | आज दिनांक को किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) | गत दिनांक तक किया गया कार्य का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | आज दिनांक को किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) | गत दिनांक तक किया गया कार्य का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | आज दिनांक को किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12 | 13 | 14 | 15=13+14 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

**प्रपत्र–B**

## प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान नाली मरम्मत के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट

**प्राधिकरण/न्यास/निकाय का नाम :–.................................................................**

| क्र. सं. | आज दिनांक तक प्राप्त कुल प्रकरण | आज दिनांक तक कुल निस्तारित प्रकरण | शेष प्रकरण | नाला/नाली मरम्मत | | | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गत दिनांक तक किये गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर | आज दिनांक को किये गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में | कुल किया गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में। | |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 |
| 1 | | | | | | | |

प्रपत्र– C

**प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान सीवर लाईन सफाई एवं मरम्मत के कार्यो की प्रगति रिपोर्ट**

प्राधिकरण/न्यास/निकाय का नाम :–.......................................................

| क्र. सं. | आज दिनांक तक प्राप्त कुल प्रकरण | आज दिनांक तक कुल निस्तारित प्रकरण | शेष प्रकरण | सीवर लाईन मरम्मत | | | | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गत दिनांक तक किये गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में | आज दिनांक को किये गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में | कुल किया गये कार्य की लम्बाई रनिंग मीटर में | आज दिनांक तक कुल मरम्मत किये गये मशीन हॉल की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |

पाक्षिक प्रपत्र–D

**प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बजट घोषणा संख्या 137 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से नगर निगम की 30 किमी., नगर परिषद् की 20 किमी. एवं नगर पालिका की 10 किमी. मुख्य सड़को के मरम्मत/सुधार कार्यो की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट**

निकाय का नाम :–.......................................................

| क्र.सं. | सी.सी.सड़क | | | | बी.टी सड़क | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गत पखवाड़े तक किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | इस पखवाड़े में किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) | गत पखवाड़े तक किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | इस पखवाड़े में किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल किया गया कार्य (क्षेत्रफल वर्गमीटर में) | कुल व्यय (राशि रू. लाख में) |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

# प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

1. **व्यक्तिगत आवास निर्माण BLC (Beneficiaries Led Construction)** इस हेतु लाभार्थियों के द्वारा स्वयं के पट्टाशुदा भूखण्ड पर वर्तमान में कच्चा आवास होने की दशा में 30 वर्गमीटर तक/अधिकतम 21 वर्गमीटर तक पक्का निर्मित आवास होने पर न्यूनतम 9 वर्गमीटर तक की अभिवृद्धि हेतु अधिकतम सहायता राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास देय है। पात्र लाभार्थी की वार्षिक आय रू. 3.00 से कम होना आवश्यक है।

2. **सहभागिता में किफायती आवास AHP (Affordable Housing in Partnership)** उक्त योजना के इच्छुक आवेदकों हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के प्रावधान 4 ए(i) के अन्तर्गत चिन्हित राजकीय भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले EWS आवासों के आवंटन पर केन्द्रीय सहायता राशि रू. 1.50 लाख प्रति आवास देय है।

   **निकायों द्वारा एएचपी योजना** – 2009 तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के तहत निर्मित आवासों में से अनावंटित/निरस्त आवासों का पात्र आवेदकों से नवीन पंजीकरण प्राप्त कर आवास आवंटित किये जाने पर AHP/CLSS घटक में सहायता राशि देय है।

3. **स्व–स्थान स्लम पुनर्विकास ISSR (In-situ Slum Rehabilitation)** उक्त योजना के इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना की डीपीआर प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सहायता राशि रू. 1.00 लाख प्रति आवास देय है।

4. **आवास ऋण पर ब्याज में छूट CLSS (Credit Link Subsidy Scheme)** एएचपी योजना – 2009 तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना– 2015 के तहत निकाय द्वारा निर्मित आवासेां के पात्र आवेदकों को आवास ऋण दिलवाने हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पादित करने पर बैंक के माध्यम से प्रति आवास अधिकतम राशि रू. 2.67 लाख की ब्याज में छूट देय है।

**राजस्थान सरकार**

**स्वायत्त शासन विभाग**

टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F-5(RUDSICO)(PDH)(PMAY-U)(PSKS)/2021-22/547 दिनांक 31.08.2021

**परिपत्र**

**विषय :-** ''प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021'' के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि रू. 1.50 लाख प्राप्त करने की कार्यविधी बाबत्।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं के पट्टाशुदा भूखण्ड पर 30 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि रू. 1.50 लाख देय है।

''प्रशासन शहरों के संग अभियान- 2021'' अभियान के दौरान समस्त नगर निकाय उक्त योजना का लाभ पात्र प्रार्थीयों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगें।

अत: अभियान के दौरान पट्टा जारी करने के लिये पात्र प्रार्थीयों (3.00 लाख रूपये वार्षिक आय एवं 30 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण जिसमें भूखण्ड के क्षेत्रफल की कोई सीमा नही है) से आवश्यक दस्तावेज ( परिशिष्ठ ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' के अनुसार) प्राप्त करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

अभियान के दौरान परिशिष्ठ ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' के अनुसार आवेदक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों का निकाय स्तर पर संधारण किया जावेगा तथा प्रत्येक निकाय परियोजना रिपोर्ट (परिशिष्ठ ''द'' के अनुसार) मय आवेदकों की सूची कार्यालय परियोजना निदेशक (आवासन), रूडसिको, 4-स-24, जवाहर नगर, जयपुर - 302004 को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें ताकि राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाकर निकाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के अधिकतम पात्र आवेदकों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा सके।

पूर्व में जारी पट्टाधारी पात्र आवेदकों से भी इस योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकेगे ताकि निकाय स्तर पर कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रह पाये।

**( दीपक नन्दी )**

**निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव,**

**स्थानीय निकाय विभाग**

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

### (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक-BLC)

### अनुदान हेतु आवेदन -पत्र

फोटो एवं हस्ताक्षर

नगर निकाय का नाम....................................................

शहर............................. जिला...................................... वार्ड संख्या.........................

1 आवेदक का नाम :.............................................................

2 पिता/पति का नाम : :.............................................................

3 जाति (सामान्य, एस.टी.,एस.टी.,ओ.बी.सी., अल्प संख्याक, अन्य) :.............................................................

4 पूर्ण पता :.............................................................

वर्तमान पता : :.............................................................

स्थायी पता : :.............................................................

5 भूखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण/ अभिवृद्धि प्रस्तावित है :- :.............................................................

भूखण्ड संख्या स्कीम का नाम, भूखण्ड कहाँ स्थित है : :.............................................................

भूखण्ड का माप/क्षेत्रफल :.............................................................

भूखण्ड रिक्त है (हाँ या नही) :.............................................................

यदि भूखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित हो तो :.............................................................

निर्मित कुल क्षेत्रफल :.............................................................

प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल :.............................................................

द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल :.............................................................

भूखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है (हा या नही) :....................................... (पटटे की प्रतिलिपि संलग्न करें)

6 आवेदक के परिवार की वार्षिक आय :.......................................(स्व घोषणा पत्र संलग्न करे)

7 आवेदक एवं परिवार के एक सदस्य का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे) (वैवाहित हेतु पति/पत्नि अन्यथा परिवार के सदस्य का आधार कार्ड) :.............................................................

8 आवेदक का स्थायी फोन/मोबाईल नं. :.............................................................

9 अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण/आवास वृद्धि) :.............................................................

10 क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है (हाँ या नही) :.............................................................

11 प्रस्तावित निर्माण विवरण :...................................................... वर्ग फीट

नवीन निर्माण क्षेत्रफल :......................................................वर्ग फीट

वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल) :......................................................वर्ग फीट

प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल अनुमानित लागत :...................................................... रूपये

**आवदेक के हस्ताक्षर**

**कार्यालय उपयोग हेतु**

प्रमाणित किया जाता है कि आवदेक द्वारा प्रस्तुत क्र.स 1 से 11 तक की सूचना सही है।

दिनांक:- हस्ताक्षर प्रमाणिकर्ता

स्थान:- नाम:-

पद:-

मोबाईल.:-

## समस्त आवेदको के लिये

## शपथ – पत्र

मै..........................................पुत्र/पत्नी श्री.................................................. जाति..........................................निवास............................................................. ................................... तहसील............................... जिला....................................... में निवास करता/करती हूॅ। मेने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास 2022 (शहरी) के अन्तर्गत स्वंय के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार के लिये अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। में शपथ-पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूॅ कि:-

1. मेरे द्वारा देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वंय का मकान नही है।
2. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखण्ड मेरे स्वंय के स्वामित्व का है।
3. मैने पूर्व में किसी भी आवासीय योजना की सब्सिडी नही ली है।
4. मेरे परिवार की वार्षिक आय रू 3 लाख से कम है।
5. मेरा भूखण्ड रिक्त है/कच्चा आवास है/21 वर्ग मीटर से कम का पक्का आवास निर्मित है।
6. में स्वंय के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु प्रधांनमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूॅ।
7. मेरे वर्तमान भूखण्ड/आवास के नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
8. मै स्वंय के द्वारा आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा सलंग्न एस्टिमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वंय के स्तर पर वहन करने को तैयार हूॅ।
9. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में मेरे द्वारा किसी कारणवंश निर्माण कार्य पूरा नही कराया जाने की स्थिति में संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास मेरे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

**(नोटीराइज्ड सत्यापन)** **आवदेक के हस्ताक्षर**

**(शपथ पत्र 50/–)**

परिशिष्ठ- ''स''

# प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)

**सबके लिये आवास-2022**

**लाभार्थी के स्वंय द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु रू 1.50 लाख तक के अनुदान की पात्रता हेतु चैक स्लिप:**

लाभार्थी का नाम..........................................................................................

पता-..................................................................................मोबाईल न. ...................................

आधार न. ........................................................................

| क्रम संख्या | विवरण | हॉं/नही |
|---|---|---|
| 1 | क्या लाभार्थी के परिवार के नाम देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वंय का मकान हैघ (यदि नही है तो शपथ पत्र सलंग्न करे) | |
| 2 | क्या लाभार्थी का भूखण्ड जिस पर कच्चा/पक्का मकान बना हो, स्वंय के स्वामित्व का हैघ्सबंधित दस्तावेजी साक्ष्य यथा पट्टा/ मूल आवंटन पत्र सलंग्न करना अनिवार्य है। | |
| 3 | क्या लाभार्थी ने पूर्व में किसी आवासीय योजना की सब्सिडी ली है? (शपथ पत्र सलंग्न करे) | |
| 4 | क्या लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय रू 3 लाख या इससे कम है? (स्व धोषणा पत्र सलंग्न करे) | |
| 5 | क्या लाभार्थी का भूखण्ड रिक्त है अथवा कच्चा आवास है? | |
| 6 | यदि लाभार्थी का पक्का मकान है तो क्या वह 21 वर्ग मीटर तक या इससे कम है? | |
| 7 | क्या लाभार्थी के नाम से बैंक खाता है? | |
| 8 | क्या लाभार्थी के पास पति/पत्नि का आधार कार्ड है? | |
| 9 | क्या लाभार्थी के वर्तमान भूखण्ड/आवास के साईट प्लान एवम नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है? | |
| 10 | क्या लाभार्थी के द्वारा प्रस्तावित आवास निर्माण का एस्टीमेट सलंग्न है? | |
| 11 | क्या लाभार्थी आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा एस्टीमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वय के स्तर पर वहन करने को तैयार है? | |

**हस्ताक्षर वार्ड/जोन** **आवेदक के हस्ताक्षर**

**वार्ड/जोन प्रभारी अनुशंसा**

मै लाभार्थी को अनुदान देने हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ।

**हस्ताक्षर पार्षद**
**वार्ड संख्या प्रभारी**
**निकाय/प्राधिकरण/न्यास (राज.)**

**सलंग्न आवश्यक दस्तावेज:-**

1. लाभार्थी के दो फोटो पासपोर्ट साईज
2. अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की फोटो कॉपी
3. आय प्रमाण पत्र हेतु स्व धोषणा पत्र
4. मकान का पट्टा/मूल आवंटन पत्र
5. प्रस्तावित आवास का साईट प्लान, नक्शा एंवम् एस्टीमेट
6. शपथ-पत्र

**नोट:-**

1. केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये।
2. नये घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 21 वर्गमीटर क्षेत्रफल एंव अधिकतम 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल।
3. विद्यमान मकान के विस्तार के लिए कम से कम 9 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का निर्माण आवश्यक है जिसमे कम से कम 1 कमरे का निर्माण प्रस्तावित हो।

**परिशिष्ट– ''द''**

**निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट में निम्न सूचनाऐं सम्मिलित किया जाना आवश्यक है :–**

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
2. परियोजना के दिशानिर्देशिका के अनुसार निर्धारित परिशिष्ट 7सी एवं 7डी (प्रारूप संलग्न)।
3. सिटी प्रोफाईल।
4. 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल का नक्शा (सुलभ सन्दर्भ हेतु नमूना संलग्न)।
5. परियोजना में शामिल किये जाने वाले सभी आवेदकों के आवास निर्माण की कुल अनुमानित लागत का विवरण। (रूडसिको कार्यालय द्वारा 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र का सेम्पल एस्टीमेट तैयार किया गया है जो कि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है निर्माण क्षेत्र में भिन्नता की स्थिति में एस्टीमेट निकाय स्तर पर तैयार किया जाकर परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
6. नवीन आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों को पृथक- पृथक परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना है।
7. आवेदकों की सूची प्रारूप ''क'' एवं ''ख'' के अनुसार।

# अन्य परिपत्र/आदेश

**राजस्थान सरकार**
**स्वायत्त शासन विभाग,**
**निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर**
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्शिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः प.5/डीएलबी/स्टोर/2021/533 दिनांक :– 14.09.2021

# आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के सुगम संचालन हेतु जॉब बेसिस पर निर्धारित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाऐ/निगम/बोर्ड में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त अनुभवी सेवा प्रदाता/संवेदक/एजेंसी/फर्म/कन्सलेंटट से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन बिड सूचना संख्या STDLB032122 आमंत्रित की गयी थी।

बिड के तहत निम्न वर्णित मानदेय के आधार पर सेवा शुल्क के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। विभागीय उपापन समिति की अभिशंषानुसार प्राप्त प्रस्तावों में न्यूनतम सेवा शुल्क प्रतिशत दाताओं की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित एवं स्वीकृत किया जाता है।

| पद का नाम → | | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी अभियन्ता (सिविल) | आई.टी. एक्सपर्ट | पटवारी/गिरदावर (सेवानिवृत) | सहायक लेखाधिकारी–प्रथम व द्वित्तीय (सेवानिवृत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्धारित मानदेय प्रतिमाह रूपये | | **39,300** | **23,850** | **21,700** | **18,500** | कार्मिक विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत कार्मिको के लिये देय मानदेय | कार्मिक विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत कार्मिको के लिये देय मानदेय |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| क्र. स. | फर्म का नाम ↓ | निर्धारित मानदेय पर अनुमोदित एवं स्वीकृत सर्विस चार्ज का प्रतिशत | | | | | |
| 1 | **Rajasthan Royals, Tonk** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **Leader Star Security Limited, Jaipur** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | **Shanti Traders Security and Allied Services, Kota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | **Banti Tarading Company, Churu** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | **Shree Namah Shivay Labour Welfare Society, Bhilwara** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | **Pannadhay Security Service, Udaipur** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | **Unitech computer &Labour Suppliers, Baran** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | **Ding Manpower & Securities Services Pvt Ltd, Sirsa (Harayana)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | **Nitya Enterprises, Jhalawar** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | **RS Enterprises, Jaipur** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | **Vandana Enterprises and Contractor, Dausa** | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |

उक्त बिड के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. उपरोक्तानुसार फर्मो को वर्णित श्रेणी के पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार निर्धारित मानदेय राशि, अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया सेवा शुल्क तथा नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान देय होगा।
2. प्रावधान लागू होने की स्थिति में बिड शर्तो के अनुसार निर्धारित दर से ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. का भुगतान भी देय होगा।
3. उक्त फर्मो को परिशिष्ट '1' के अनुसार जिले आवंटित किये जाते है। अनुमोदित फर्मे आवंटित जिले की नगरीय निकायों में ही कार्य कर सकेगी।
4. राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु पूर्णत जॉब बेसिस पर कार्मिक लिये जाने हेतु परिशिष्ट '2' में वर्णित सेवा पद आवंटित किये जाते है। संबंधित नगरीय निकाय आवंटित श्रेणी एवं निर्धारित सेवा में ही पूर्णतः जॉब बेसिस पर कार्मिक परिशिष्ट '1' में वर्णित फर्मो से कार्मिक संविदा पर ले सकेगी।
5. संबंधित नगरीय निकाय इस आदेश का संदर्भ देते हुए पूर्णतः जॉब बेसिस पर आवश्यकता को देखते हुये एवं आवंटित सीमा में ही पूर्णत जॉब बेसिस पर कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने हेतु फर्म को आदेश जारी करेगी तथा अनुबंध का निष्पादन करेगी। अनुबंध का निष्पादन करते समय बिड तथा इस आदेश को अनुबंध का भाग बनायेगी। सुलभ संदर्भ हेतु बिड दस्तावेज की प्रति संलग्न की जारी है।
6. इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस आधार पर कार्मिक केवल इस आदेश के जारी होने से 6 माह तक की अवधि के लिये ही रखे जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा अवधि को आगे बढ़ाया जावेगा। जिसका पूर्णाधिकार निदेशक स्थानीय निकाय के पास रहेगा। नगरीय निकाय स्वयं के स्तर पर इस अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकेगे।
7. इस आदेश के तहत पूर्णत जॉब बेसिस पर रखे जाने वाले कार्मिकों का भुगतान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–

1. बिड दस्तावेज की प्रति।
2. परिशिष्ट '1'
3. परिशिष्ट '2'

**(दीपक नन्दी)**
**निदेशक एवं विशिष्ट सचिव**

परिशिष्ट –1

## फर्मो को कार्य करने हेतु आवंटित जिले

| क्र.सं. | फर्म का नाम | फर्म का पता | आंवटित जिले |
|---|---|---|---|
| 1. | **RAJASTHAN ROYALS** | गुणावत सदन, शंकरपुरा, जिन्सी, वार्ड न. 17, टोंक मों. 9252111622 | अजमेर,नागौर, टोंक |
| 2. | **LEADER STAR SECURITY LIMITED** | प्लांट नं. 44 अयोध्या कॉलोनी, ग्राम हीरापुरा डीसीएम अजमेर रोड जयपुर मों. 9001821000 | जयपुर, अलवर, दौसा |
| 3. | **SHANTI TRADERS SECURITY AND ALLIED SERVICES** | 125 केशवपुरा सेक्टर 07 कोटा मो. 9829784818 | कोटा, बूंदी, झालावाड |
| 4. | **BANTI TRADING COMPANY** | लाल टंकी के पास, वार्ड नं. 30 चूरू मों. 9799857777 | बीकानेर,चूरू, श्रीगंगानगर |
| 5. | **SHREE NAMAH SHIVAY LABOUR** | कावा खेरा कच्ची बस्ती भीलवाडा मों. 8619431035 | प्रतापगढ, राजसमंद, चित्तौडगढ |
| 6. | **PANNADHYAY SECURITY** | 165, संलूबर की हवेली राव जी हाथा उदयपुर 9549598751 | उदयपुर, बांसवाडा, डूगंरपुर |
| 7. | **UNITECH COMPUTERS & LABOUR SUPPLYER** | पुलिस चौकी के सामने, प्रताप चौक बांरा मों. 9928500777 | बांरा, भीलवाडा, सवाईमाधोपरु में सभी 06 सेवाये हेतु एवं भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलें में पटवारी/गिरदावर/ तथा सहायक लेखाधिकारी प्रथम व द्वितीय की सेवाओ के लिये केवल |
| 8. | **DING MANPOWER& SECURITIES SERVICES PVT LTD** | गली नं. 06 प्रीत नगर बेगू रोड सिरसा (हरियाणा) मों. 09215621101 | झूंझूनू, सीकर, हनुमानगढ |
| 9. | **NITYA ENTERPRISES** | 29/38 तम्बोली मोहल्ला, झालवाड मों. 9001113709 | बाडमेर, सिरोही, जालौर |
| 10. | **RS ENTERPRISES** | 74–ए आंनद विहार–ए बैनाड रोड झोटवाडा जयपुर मों. 9829774145 | जोधपुर, जैसलमेर, पाली |
| 11. | **VANDANA ENTERPRISES AND CONTRACTOR** | अम्बेडकर पार्क के पास, खटीकान मोहल्ला दौसा मों. 9468790224 | भरतपुर, धौलपुर, करौली (केवल अरबन प्लानर प्रथम/द्वितीय, तकनीकी सहायक(सिविल), आई. टी. एक्सपर्ट) |

परिशिष्ट – 2

## जयपुर संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/ गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जयपुर हेरिटेज नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | जयपुर ग्रेटर नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | अलवर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | भिवाडी नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | दौसा नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | सीकर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | झुंझूनु नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | चौमू | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | सांभर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | चाकसू | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | कोटपूतली | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | फुलेरा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | शाहपुरा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | विराटनगर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | जोबनेर | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | बगरू | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | किशनगढ रेनवाल | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | बस्सी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | पावटा | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | राजगढ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | खेडली | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | तिजारा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | खैरथल | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | बहरोड | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | किशनगढ बास | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | थानागाजी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | लक्ष्मणगढ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | रामगढ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | बांनसूर | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | बांदीकूई | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | लालसोट | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | महवा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | मण्डावरी | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | फतेहपुर | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | नीमकाथाना | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | लक्ष्मणगढ (सीकर) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | रामगढ शेखावाटी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | श्रीमाधोपुर | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | खण्डेला | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | रींगस | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | लोसल | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | खाटूश्यामजी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | बिसाऊ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | पिलानी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | नवलगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | चिडावा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | बग्गड | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | खेतडी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | मण्डावा | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | मुकुन्दगढ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | सूरजगढ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | हवाटी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | विघाविहार | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

परिशिष्ट – 2

## उदयपुर संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/ि गरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उदयपुर नगर निगम | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | बांसवाडा नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | चित्तोडगढनगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | प्रतापगढ नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | राजसमन्द नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | डूँगरपुर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | कानोड | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | फतेहनगर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | भीण्डर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | सलूम्बर | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | कुशलगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | परतापुरगढी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | निम्बाहेडा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | रावतभाटा | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | कपासन | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | बेंगू | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | बडी सादडी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | छोटी सादडी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | आमेट | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | नाथद्वारा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | देवगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | सागवाडा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

परिशिष्ट – 2

## भरतपुर संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/ गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भरतपुर नगर निगम | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | सवाईमाधोपुर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | गंगापुरसिटी नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | करौली नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | हिण्डौन नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | धौलपुर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | वैर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | बयाना | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | भूसावर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | डीग | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | कामां | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | कुम्हेर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | नदबई | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | नगर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | रूपवास | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | सीकरी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | उच्चैन | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | बामनवास | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | टोडाभीम | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | सपोटरा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | राजाखेडा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | बाडी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | सरमथुरा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | बसेडी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

परिशिष्ट – 2

## जोधपुर संभाग

| क्र.सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोधपुर उत्तर नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | जोधपुर दक्षिण नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | जैसलमेर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | बाड़मेर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | बालोतरा नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | सिरोही नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | पाली नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | सुमेरपुर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | जालौर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | फलौदी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | पीपाडसिटी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | बिलाडा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | भोपालगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | पोकरण | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | माउण्टआबू | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | पिण्डवाडा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | शिवगंज | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | आबूरोड | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | जावाल | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | सोजतसिटी | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | सादडी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | बाली | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | तखतगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | रानीखुर्द | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | जैतारण | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | फालना स्टेशन | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | भीनमाल | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | सांचौर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

परिशिष्ट – 2

## बीकानेर संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वितीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीकानेर नगर निगम | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | चुरू नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | सुजानगढ नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | श्री गंगानगर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | हनुमानगढ नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | नोखा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | देशनोक | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | श्री डुँगरगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | राजगढ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | रतनगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | सरदारशहर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | छापर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | बींदासर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | रतननगर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | तारानगर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | राजलदेसर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | सूरतगढ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | रायसिंहपुर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | गजसिंहपुर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | केसरीसिंहपुर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | श्रीकरणपुर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | अनुपगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | श्री विजयनगर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | सादुलशहर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | पदमपुर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | लालगढ–जाटन | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | संगरिया | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | नोहर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | भादरा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | रावतसर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | पीलिबंगा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

परिशिष्ट – 2

# कोटा संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी/गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा (उत्तर) नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | कोटा (दक्षिण) नगर निगम | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | बून्दी नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | बांरा नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | झालावाड नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | कैथून | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | संगोद | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | रामगंजमण्डी | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ईटावा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | सूल्तानुपर | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | लाखेरी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | केशोरायपाटन | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | नैनवा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | कापरेन | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | इन्द्रगढ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | अन्ता | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | छबडा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | मंगरोल | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | अटरू | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | भवानीमण्डी | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | चिडावा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | अकलेरा | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | झालरापाटन | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

परिशिष्ट – 2

# अजमेर संभाग

| क्र. सं. | नगरीय निकाय का नाम | अरबन प्लानर प्रथम | अरबन प्लानर द्वित्तीय | तकनीकी सहायक | आई टी एक्सपर्ट | पटवारी / गिरदावर | सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर नगर निगम | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | किशनगढ नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ब्यावर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | टोंक नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | नागौर नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | भीलवाडा नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | मकराना नगर परिषद | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | विजय नगर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | केकडी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | सरवाड | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | पुष्कर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | नसीराबाद | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | टोडारायसिंह | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | मालपुरा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | निवाई | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | देवली | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | उनियारा | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | लांडनू | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | मेडता सिटी | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | कुचामन सिटी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | परबतसर | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | नावां | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | कुचेरा | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | मूण्डवा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | डीडवाना | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | डेगाना | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | शाहपुरा | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | जहाजपुरा | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | माण्डलगढ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | गंगापुर | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | आसींद | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | गुलाबपुरा | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

**राजस्थान सरकार**

## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/3/04/पार्ट जयपुर, दिनांक : 24 सितम्बर, 2020

## <u>आदेश</u>

राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये समय-समय पर अर्जित एवं अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के भुगतान स्वरूप विकसित भूमि देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र निर्देश भी जारी किये गये हैं जिनका सुलभ-सन्दर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

(i) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/89, दिनांक 13.12.2001** – पुराने प्रकरणों जिनमें अवार्ड घोषित नहीं हुआ हो तथा भविष्य में अवाप्ति के प्रकरणों व कतिपय शर्तों के साथ 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड (केवल आवासीय) मुआवजे स्वरूप देने के आदेश दिये गये।

(ii) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 27.10.2005**– भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में मुआवजा स्वरूप कतिपय शर्तों के साथ अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गयी है। भूमि का आवंटन उसी भूमि/योजना में सम्भव नहीं हो, तो नकद मुआवजा दिया जायेगा। यह प्रावधान भविष्य के प्रकरणों में लागू किया गया इससे पूर्व जिन प्रकरणों में अवार्ड घोषित किया जा चुका था या मुआवजे का भुगतान/न्यायालय में जमा करवाया जा चुका है या 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान अवार्ड में किया जा चुका है उनमें यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। पाँच अधिकारियों की आवंटन समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा।

(iii) **आदेश क्रमांकः प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 03.12.2007**– स्पेशल इकोनोमिक जोन में पृथक् मापदण्ड किये गये जिनके अनुसार आवासीय/आबादी भूमि के बदले 40 प्रतिशत आवासीय एवं 10 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आवंटित करने, वाणिज्यिक भूमि के अवाप्ति के बदले 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भूमि आवंटित करने और 90-बी की पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न हुई। भूमि की अवाप्ति के बदले 30 प्रतिशत आवासीय एवं 7.5 प्रतिशत वाणियिक भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया।

(iv) **आदेश क्रमांक : प. 6 (18) नविवि/03/2007, दिनांक 12.08.2010** – सभी योजनाओं हेतु अवाप्तशुदा भूमि के एवज में प्रदान की जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जारी आरक्षण पत्र/आवंटन पत्रों में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण रुपये 25/- प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तान्तरण करने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) **आदेश क्रमांक : प. 7 (11) नविवि/2014 ,दिनांक 22.10.2014** –अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। योजना में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं हो की स्थिति में 10 प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जावेगी। भूमि के बदले आवंटन हेतु 5 अधिकारियों की आवंटन समिति गठित की जायेगी।

(vi) **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 03.02.2015** – जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गयी है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, तो ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि

देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.2015 तक बढ़ायी गयी लेकिन दिनांक 27.10.2005 के पूर्व के प्रकरणों में मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित भूमि और इसके बाद के प्रकरणों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान यथावत रखा गया।

**(vii)** **आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 13.02.2015**–भूमि अवाप्ति के अवार्ड में यदि नकद मुआवजे का अंकन किया गया है तथा भूमि देने का प्रावधान अवार्ड में नहीं किया गया है। ऐसे खातेदारों को परिपत्र दिनांक 03.02.2015 के अनुसार भूमि दी जा सकेगी, बशर्ते कि खातेदार द्वारा नकद राशि प्राप्त नहीं की गई है।

**(viii)** आदेश क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/03/2004, दिनांक 04.06.2015- के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि 31.08.2015 तक बढ़ायी गयी है।

**(ix)** **आदेश क्रमांक प. 6 (20) नविवि/03/2004, दिनांक 13.04.2017** – के द्वारा विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि 30.09.2017 तक बढ़ायी गयी। जिन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हुई, क्योंकि खातेदार से कब्जा नहीं लिया गया है एवं जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठायी है, केवल उन्हीं को विकल्प का मौका दिया जायेगा।

**(x)** **आदेश क्रमांक प. 3 (176) नविवि/03/1984, दिनांक 25.04.2017**– मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए जारी उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-23 के अनुसार भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरण जिनमें खातेदार द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है, ऐसे खातेदारों को विकल्प प्रस्तुत की कट-ऑफ डेट दिनांक 30.09.2017 की गई। आदेश क्रमांक : प. 2 (30) नविवि/03/2016, दिनांक 15.01.2018 एवं प.3 (176) नविवि/03/1984 दिनांक 20.07.18 के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आवेदन प्राप्त करने एवं योजना की अवधि 31.12.2018 तक बढ़ाई गई।

**(xi)** **आदेश क्रमांक प. 7 (9) नविवि/2017, दिनांक 02.08.2017** – भूमि जिस योजना के लिए अवाप्ति की गयी, उसी योजना में दी जा सकेगी। सेक्टर रोड़ हेतु ली जाने वाली भूमि के बदले उसी स्थान/क्षेत्र/योजना में दी जावे। यहाँ यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो, तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यत्र भूमि दी जा सकती है।

**(xii)** **आदेश क्रमांक : प. 2 (31) नविवि/2017, दिनांक 02.08.2017**– अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि केवल उसी खातेदार को आवंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। निकायों, न्यास, मण्डल, प्राधिकरण के स्तर पर विकसित भूमि का पट्टा खातेदार को ही दिया जावे।

**(xiii)** **आदेश क्रमांक : प. 7 (11) नविवि/2014, दिनांक 13.08.2018**–अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु आदेश दिनांक 22.12.2014 के द्वारा गठित स्थानीय स्तर की समिति के गठन में संशोधन करते हुए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के आयुक्त को भी जोड़ा गया।

**(xiv)** **आदेश क्रमांक : प. 7 (111) नविवि/03/2013 पार्ट, जयपुर दिनांक 20.08.2018**–भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1984 की धारा 4 (1) के पश्चात् व अवार्ड जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान की गयी भूमि के मुआवजे के संबंध में (दिनांक 31.10.2018 तक) प्रभावी। नियमानुसार विकसित भूमि देय होने पर क्रेता द्वारा 100 रु. प्रति वर्गमीटर से राशि देय होगी।

**(xv)** **आदेश क्रमांक : प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.09.2019**–नये अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) व धारा 101 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति से मुक्ति अथवा पुनः अवाप्ति की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

**(xvi)** **आदेश क्रमांक प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.02.2020**– अवाप्ति अधिनियम 1894 व नये अवाप्ति

अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विकसित भूमि देने के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के साथ चैकलिस्ट में राज्य सरकार को भेजे जाने और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 एवं नगर सुधार अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत समझौते से भूमि क्रय या विनिमय की कार्यवाही स्थानीय स्तर पर की जा सकती है, लेकिन अन्य योजनाओं में भूमि देने के प्रस्ताव होने पर औचित्य के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावे।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के बावजूद भी नगरीय निकायों (यथा नगरपालिका मण्डल/परिषद/नियम, राजस्थान आवासन मण्डल, विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास) के यहाँ काफी संख्या में ऐसे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है, जिनमें :-

(i) भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है, किन्तु मुआवजा खातेदार/उसके वारिसान/हितधारी को नहीं मिला है, अथवा

(ii) भूमि का अवार्ड जारी हो चुका है तथा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है लेकिन संबंधित खातेदार/उसके वारिसान/हितधारी को मुआवजा नहीं मिला है, अथवा

(iii) भूमि का अवार्ड आदेश होने के बाद नगरीय निकाय के पक्ष में भूमि का नामान्तरण दर्ज हो चुका है, पेपर पजेशन भी नगरीय निकाय के द्वारा लेना दर्शाया हुआ है, लेकिन भौतिक रूप से कब्जा आज भी खातेदार/हितधारी का है, अथवा

(iv) तत्समय प्रभावी भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना के बाद अथवा अवार्ड जारी होने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरण हो गये है तथा भूमि का मुआवजा किसी को नहीं मिला है, अथवा

(v) अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा भौतिक रूप से नगरीय निकाय द्वारा लिया गया जा चुका है किन्तु मुआवजे का भुगतान खातेदार/हितधारी को नहीं किया गया है, अथवा

(vi) अवार्ड जारी हो जाने के बाद अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा नगरीय निकाय को प्राप्त नहीं हुआ है तथा मुआवजे का भुगतान नहीं होने से न्यायालय में विवाद चल रहे है अथवा

(vii) भूमि का मुआवजा सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया गया है किन्तु योजना की क्रियान्वित (उक्त खसरा/स्थान पर) नहीं हुई है, क्योंकि खातेदार से भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है एवं खातेदार ने मुआवजा राशि नहीं उठाई है, अथवा

(viii) भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर योजना की क्रियान्विति की जा चुकी है किन्तु खातेदार को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है, हालांकि न्यायालय में मुआवजा राशि जमा है, अथवा

(ix) बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये ही भूमि अर्जित करके उसका उपयोग नगरीय निकाय के द्वारा कर लिया गया है, किन्तु भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

वर्तमान में शहरी निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति, न्यायालयों में लम्बे समय से नगरीय निकायों का करोड़ों रुपया जमा होने, न्यायिक वादों में खर्चीली प्रक्रिया होने के कारण एवं लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विकास योजनाओं के लिए नगरीय निकायों को भूमि की आवश्यकता, वर्ष 2013 में लागू नये केन्द्रीय भूमि अवाप्ति कानून के तहत भूमि अवाप्त करने की खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया, अपनी भूमि के मुआवजे के लिये परेशान जनता को राहत प्रदान करने तथा नकद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के समस्त नगरीय निकायों, यथा-विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यासो, नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहाँ भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में लम्बित उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित सभी प्रकार के प्रकरणों, जिनमें अवार्ड यदि दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है, तो उनमें 15 प्रतिशत आवासीय तथा दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् का अवार्ड है तो उन योजनाओं में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यवसायिक) विकसित भूमि संबंधित खातेदार या उसके वारिसान या रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (Duly registered and duly stamped document) से पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता, जैसी भी स्थिति हो, को निम्नांकित शर्तों

के अन्तर्गत आवंटित की जा सकेगीः-

(i) यदि भूमि के स्वामित्व अथवा मुआवजे के संबंध में किसी न्यायालय में विवाद लम्बित है तो वादी द्वारा उसको विड्रा किया जावे अथवा संबंधित पक्ष उसे खारिज करवाये।

(ii) यदि भूमि का अवार्ड हो चुका है तथा मुआवजा न्यायालय में जमा है, भूमि की नगरीय निकाय को क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यकता है, तो संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न्यायालय में जमा मुआवजे की राशि को विड्रा किया जाये तथा खातेदार/हितकारी को 15/25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाये।

(iii) मुआवजे के बदले 15/25 प्रतिशत भूमि उसी भूमि/योजना में से आवंटित की जाये और यदि समय नहीं हो तो कारण अंकित करते हुए उसके समकक्ष/समतुल्य भूमि में से आवंटित की जाये।

(iv) भूमि के बदले जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित की जाये, उससे 500/- रुपये के स्टाम्प पर यह अण्डेरटेकिंग प्राप्त की जाये कि उसे अब तक नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया है और यदि अवाप्त/अर्जित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में कोई विवाद पैदा हुआ तो ऐसे प्रकरण में जिम्मेदारी उसकी होगी तथा निकाय को आवंटित भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(v) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1), 6 व अवार्ड तथा नगर सुधार अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत पारित आदेश के पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि क्रय की जा चुकी है, उनमें विकसित भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। 100/- प्रति वर्गमीटर की दर से राशि देय होगी।

(vi) जिन योजनाओं में 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि उपलब्ध नहीं है उनमें 25 प्रतिशत (20+5 प्रतिशत) के स्थान पर 30 प्रतिशत आवासीय भूमि आवंटन की जा सकेगी। व्यवसायिक योजना जिनमें अवार्ड दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है, उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा दिनांक 27.10.2005 से पूर्व का है उनमें 7.5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि तथा दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् की अवार्ड शुदा योजना में 15 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आवंटन की जा सकेगी।

(vii) अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि यथासम्भव उसी योजना में उसी स्थान पर/उसके पास में (निर्मित भवन होने पर जहाँ भवन स्थित हो) दी जावेगी। निर्मित भवन का पृथक् से मुआवजा देय नहीं होगा। निर्मित भवन के स्थान पर आवंटन नहीं होने पर यदि अवार्ड में स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वीकृत है तो भवन का मुआवजा देय होगा।

(viii) मुआवजे के बदले 15/25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का विकल्प खातेदार/हितधारी द्वारा दिये जाने की नियत तिथि अब 30.09.2021 तक बढ़ाई जाती है और जिसने अब तक विकल्प प्रस्तुत ही नहीं किया है तो वह भी अब दिनांक 30.03.2021 तक विकसित भूमि के विकल्प दे सकेगा।

(ix) ऐसे मामले, जिनमें बिना अवाप्ति कार्यवाही के ही खातेदार की भूमि अर्जित कर उसका उपयोग नगरीय निकाय द्वारा कर लिया गया है, लेकिन उसका मुआवजा खातेदार/वारिसान/हितधारी को प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें उपरोक्तानुसार अण्डरटेकिंग लेकर नकद राशि के बजाय अर्जित भूमि की 25 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजे स्वरूप दी जा सकेगी, भले ही भूमि का अर्जन वर्ष 2005 से पूर्व का हो या बाद का।

(x) जिन प्रकरणों में आवंटन की कार्यवाही/निर्णय) हो चुका है उसको पुनः नहीं खोला जायेगा।

(xi) अलसर एक्ट या अन्य कानून (नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अवाप्त की गई भूमि को छोड़कर) के तहत अवाप्त भूमि के संबंध में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(xii) राजकीय विभाग अथवा नगरीय निकाय के स्वामित्व की भूमि के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(xiii) भूमि के बदले विकसित भूखण्ड देने के उपरान्त सभी मामलों के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर गठित आवंटन समिति की अनुशंसा के साथ निर्धारित चैकलिस्ट में संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम, विकास

प्राधिकरण, नगर विकास न्यास या राजस्थान आवासन मण्डल) द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही विकसित भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी।

4. वर्ष 2013 के भूमि अवाप्ति के नये अधिनियम की धारा 24 (2) एवं धारा 101 के अन्तर्गत अवाप्तशुधा भूमि के उपयोग में नहीं आने की स्थिति में कार्यवाही के प्रस्ताव विभागीय आदेश क्रमांक प. 7 (1) नविवि/2019, दिनांक 13.09.2019 के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाये।

5. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार अधिनिमय की धारा 51 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनियम) से प्राप्त भूमि के बदले विकसित भूखण्ड प्राधिकरण अथवा न्यास स्तर पर ही आवंटन किये जा सकते हैं। भूमि के बदले भूखण्ड उसी योजना में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जा सकती है, लेकिन दी जाने वाली भूमि अन्य योजना में होने की स्थिति में दोनों स्थानों की समान दर पर आकलन किया जायेगा। जहाँ भूमि अन्यत्र योजना में दी जाना प्रस्तावित हो तो ऐसे आवंटन के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाये।

**राज्यपाल की आज्ञा से**

**(मनीष गोयल)**
**शासन संयुक्त सचिव–प्रथम**

---

## राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.6(29)नविवि/3/04 पार्ट जयपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2020

### आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 के पैरा संख्या–3 के खण्ड (viii) के पश्चात् नवीन खण्ड (viii-a) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

(viii-a)-नगरीय निकाय की योजनाओं से सम्बन्धित भूमि अवाप्ति के ऐसे मामले जिनका अवार्ड दिनांक 27.10.2005 से पूर्व जारी हो चुका था लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने से भूमि का अभी तक कब्जा नहीं लिया जा सका है और नगरीय निकाय के द्वारा ऐसी भूमियों पर योजना की क्रियान्वति नहीं हो पाई है उनमें नगरीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार की अनुमति से 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के स्थान पर 15 प्रतिशत मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि, जैसी भी भूमि की उपलब्धता हो आवंटित की जा सकेगी। नगरीय निकायों की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु यदि नगरीय निकायों द्वारा अन्य प्रकार के प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी हेतु भेजे जाते है तो सरकार उस पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

**(मनीष गोयल)**
**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**

**राजस्थान सरकार**

## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 6 (29) नविवि/3/04/पार्ट जयपुर, दिनांक : 30 जुलाई, 2021

### आदेश

अवाप्त भूमि के बदले भूमि एवं उस हेतु भूमियों की राशि का मूल्यांकन में एकरूपता एवं मानकीकरण की कमी के कारण विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं जिससे विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती है। इस कारण ऐसे प्रकरणों में विलम्ब एवं काश्तकारों/खातेदार/आमजन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार में सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने संबंधी प्रकरणों के सरलीकरण एवं एकरूपता हेतु निम्न प्रकार मानक (मापदण्ड) स्थापित किये जाते हैं-

**1. अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि उसी योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में** – अनिवार्य अवाप्ति की योजनाओं में मुख्य रूप से भूमि की अवाप्ति केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 (1), 6 व 11 के अन्तर्गत अवार्ड स्वीकृत कर की गई है, अवार्ड मुख्य रूप से नकद मुआवजे का है एवं आंशिक रूप से कुछ मामलों में विकसित भूमि देने का उल्लेख अवार्ड में किया हुआ है। ऐसी योजनाओं में सामान्यतया कृषि भूमि की अवाप्ति की जाती है तथा अवाप्त की गई भूमि के बदले 15 प्रतिशत व 25 (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यावसायिक) प्रतिशत विकसित भूमि उसी योजना में ही दी जाती है।

**2. अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि अन्य योजना में आवंटित किये जाने के संबंध में**– जिन योजनाओं हेतु भूमि अवाप्त की गई है, वहाँ भूमि की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में विकसित भूमि अन्य योजना में दी जाती है तो जिस योजना में भूमि अवाप्त की गई है, उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर (आवासीय/व्यवसायिक) व डी.एल.सी. दर (आवासीय/व्यवसायिक) में से जो भी अधिक हो, उससे भूमि के मूल्यांकन की तुलना की जावे। अवाप्त की गई योजना की आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर जितनी प्रतिशत अधिक/कम होगी, उतनी ही प्रतिशत भूमि कम/अधिक दी जावेगी।

**उदाहरणार्थ**-यदि किसी X योजना (जिसका अवार्ड दिनांक 27.10.2005 के पश्चात् का है) में 400 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है तो उस योजना में विकसित भूमि तालिका अनुसार देय है-

| **तालिका–A** | |
|---|---|
| 400 वर्गमीटर भूमि की विकसित भूमि 25 प्रतिशत | 100 वर्गमीटर |
| 400 वर्गमीटर भूमि की आवासीय 20 प्रतिशत | 80 वर्गमीटर |
| 400 वर्गमीटर भूमि की व्यवसायिक 5 प्रतिशत | 20 वर्गमीटर |

यदि X योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से अधिक दर रुपये 2000/- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर रुपये 4000/- प्रति वर्गमीटर है, तो अन्य Y योजना जिसमें विकसित भूमि दी जानी है। उस योजना की आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से से अधिक दर 3000/- प्रति वर्गमीटर है तथा व्यवसायिक दर 6000/- प्रति वर्गमीटर है, तो विकसित भूमि तालिका-B अनुरूप देय होगी-

| **तालिका–B** | | |
|---|---|---|
| कुल विकसित भूमि | 100 x 2000/3000 | 66.66 वर्गमीटर |
| आवासीय विकसित भूमि | 80 x 2000/3000 | 53.33 वर्गमीटर |
| व्यवसायिक विकसित भूमि | 20 x 4000/6000 | 13.33 वर्गमीटर |

इस प्रकार Y योजना की दर x योजना से अधिक होने के कारण के कारण विकसित भूमि तालिका-A के स्थान पर तालिका-B के अनुसार देय होगी। अतः जिस अनुपात में विकसित भूमि दी जाने वाली योजना की दर से अधिक/कम होगी, उसी अनुपात में विकसित भूमि कम/अधिक देय होंगे।

**3. आपसी समझौते से अवाप्त की गई भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में –** जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 44, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 तथा नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत क्रय कर आपसी समझौते से एग्रीमेन्ट तथा एक्सचेंज (विनिमय) से प्राप्त की गई भूमि के बदले उसी योजना या अन्य योजना में विकसित भूमि दिये जाने पर समतुल्य भूमि की तुलना निम्न प्रकार की जावेगी-

अवाप्त की गई भूमि की किस्म/प्रयोजन के अनुसार डी.एल.सी. दर से भूमि का मूल्य तथा दी जाने वाली विकसित भूमि उसी योजना/उसी डी.एल.सी. दर के क्षेत्र में अथवा अन्य योजना में डी.एल.सी. (आवासीय/व्यवसायिक) दर से भूमि के मूल्य की तुलना अवाप्त भूमि के मूल्य से करते हुए दी जाने वाली भूमि की गणना की जावेगी।

**उदाहरणार्थ–**यदि अवाप्त की गई दो बीघा कृषि भूमि है (5000 वर्गमीटर) तथा 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय है। कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर रुपये 5.0 लाख प्रति बीघा है तथा आवासीय की डी.एल.सी. दर रुपये 10000/- प्रति वर्गमीटर है, तो-

| | |
|---|---|
| अवाप्त कृषि भूमि की कीमत | 5.0 x 2= 10.0 लाख |
| आवासीय भूमि की कीमत | 500 x 10000= 50 लाख |
| अवाप्त भूमि का कुल मूल्य | 60.0 लाख |

यदि विकसित भूमि उसी योजना/समान आवासीय डी.एल.सी. क्षेत्र में दी जा रही है, तोः-

| | |
|---|---|
| दी जाने वाली विकसित भूमि का क्षेत्रफल<br>600 लाख + 10 हजार | 600 वर्गमीटर आवासीय भूमि |

तथा अन्य योजना जहाँ विकसित भूमि दी जानी है उस योजना की आवासीय डी.एल.सी. दर रु. 30000/- प्रति वर्गमीटर है, तो दी जाने वाली विकसित भूमि निम्न प्रकार देय होगी-

| | |
|---|---|
| भूमि का कुल मूल्य | 60.0 लाख |
| दी जाने वाली विकसित भूमि का<br>क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | 60.0 लाख-30000-200 वर्गमीटर<br>आवासीय भूखण्ड |

ऐसे समस्त प्रकरणों में राज्य सराकर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

**(कुंजी लाल मीना)**
**प्रमुख शासन सचिव**

**राजस्थान सरकार**

## स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

**(जी. 3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम, जयपुर–302005)**
**टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल**–stplsg407@rajasthan.com, **वेबसाईट** –www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : भूमि एफ. 7 (8) ( )/डीएलसी/2020/4436 दिनांक : 11.11.2020

### आदेश

विषय : राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिये आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, समाजों आदि का भूमि आवंटन के मापदण्ड आदि निर्धारित किये गये हैं। कई प्रकरणों में नगर निगमों, नगर परिषद एवं नगर पालिका मण्डलों को भी कुछ सीमा तक भूमि आवंटन की शक्तियाँ दी गयी है।

इस संदर्भ में अब सभी नगरीय निकायों (नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं) को निर्देश दिये जाते हैं कि किसी भी संस्था को चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे, चाहे वह आवंटन कीमत न हो या रियायती दर पर हो। प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

यदि किसी अधिकारी के द्वारा इन आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू-आवंटन किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देश/आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

**(दीपक नन्दी)**
**निदेशक एवं विशिष्ट सचिव**

राजस्थान सरकार

## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3 (55) नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर, दिनांक : 05 जुलाई, 2021

### आदेश

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 25 जून, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 के बिन्दु सं. 9.3 में निम्नानुसार राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है, जिसके क्रम में राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर से किया जाना सुनिश्चित करावें:-

| क्र.सं. | विभाग का नाम | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय | संभागीय मुख्यालय पर-2000 व.मी. तक तथा अन्य स्थान पर-3000 व. मी. तक |
| 2. | माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय | संभागीय मुख्यालय पर-4000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर-6000 व.मी. तक |
| 3. | महाविद्यालय (सामान्य तकनीकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई. सहित) | संभागीय मुख्यालय पर-10,000 व.मी. तक तथा अन्य स्थानों पर-13,000 व.मी. तक |
| 4. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आवंटन। | 1000 व. मी. तक |
| 5. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 4000 व. मी. तक |
| 6. | उप स्वास्थ्य भवन | 500 व. मी. तक |
| 7. | पुलिस थाना | 2000 व. मी. तक |
| 8. | पुलिस चौकी | 500 व. मी. तक |
| 9. | अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय | 500 व.मी. तक |
| 10. | अन्य तहसील/पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय | 4000 व. मी. तक |
| 11. | अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय | 5000 व.मी. तक |

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जायेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिए भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से

**(मनीष गोयल)**

**संयुक्त शासन सचिव-प्रथम**

# अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्य

**अन्य विभागों से संबंधित कार्य :-**

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :-**
  वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।
- **जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य:-**
  पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पडे सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।
- **उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :-**
  लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिग है, तो उन्हें जारी करना।
- **सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :-**
  (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।
  (ii) नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियाँ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।
- **राजस्व विभाग :-**
  नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तानान्तरण किया जाना।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग :-**
  महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:-**
  कोविड टीकाकरण एवं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण।

# प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

## प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र विभागीय/अभियान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः-

https://urban.rajasthan.gov.in
http://lsg.urban.rajasthan.gov.in
https://shahar2021.rajasthan.gov.in
.

## विशिष्ट नोट

1. विभाग द्वारा मार्ग-निर्देशिका का प्रकाशन अभियान में आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।
2. अभियान में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई छूट एवं शिथिलताओं से सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश कर मार्ग-निर्देशिका प्रकाशित की गई है, जिसमें सम्बन्धित आदेशों और परिपत्रों का समावेश करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।
3. मार्ग-निर्देशिका में समावेशित आदेशों और परिपत्रों इत्यादि में यदि सहवन से मुद्रण में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी सम्बन्धित मूल आदेश ही मान्य होगा।